

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 224/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती पूनम कंवर पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत,
पता :- प्लॉट नं. 501-ए, तारा नगर ए, खिरनी फाटक रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
एवं वार्ड नं. 03, सुल्ताना, झून्झनू, राजस्थान।
एवं प्लेट नं. एस-3, सिचुएटेड एट द्वितीय तल (बिना छताधिकार), प्लॉट नं. 41, स्कीम गोविन्द
सरोवर, हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर।
2. श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह,
पता :- प्लॉट नं. 501-ए, तारा नगर ए, खिरनी फाटक रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
एवं वार्ड नं. 03, सुल्ताना, झून्झनू, राजस्थान।
3. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह,
पता :- वार्ड नं. 02, सरकारी अस्पताल के सामने झून्झनू राजस्थान।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु
दिनांक 30.09.2019 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पूनम कंवर के स्वामित्व की
सम्पति प्लेट नं. एस-3, सिचुएटेड एट द्वितीय तल (बिना छताधिकार), प्लॉट नं. 41, स्कीम गोविन्द
सरोवर, हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर स्थित क्षेत्रफल 539.28 वर्गफीट को बन्धक रख कर
11,90,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी
ऋणी को दिनांक 10.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के
बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुष्टि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 11,90,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 13,38,468.00/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पूनम कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. एस-3, सिचुएटेड एट द्वितीय तल (बिना छताधिकार), प्लॉट नं. 41, स्कीम गोविन्द सरोवर, हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर स्थित क्षेत्रफल 539.28 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल करवाकर हो।

8. आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
राजेश विशाल
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर